सहजीवन का सच भारतीय समाज के संदर्भ में

Dumrendra Rajan*

Research Scholar, Philosophy, Patna University, Patna

***सार -** भारतीय समाज जहाँ एक ओर युवा वर्ग जाति-धर्म से बेखबर होकर 'सहजीवन' को अपना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाज का एक तबक ऐसे संबंधों के प्रति संशय एवं उपेक्षाभाव रखकर 'सुपर अभिभावक' की भूमिका निभाते हैं। कई बार तो 'सुप्रीम कोर्ट' को भी ऐसे मामले में दखल देना पड़ता है। इसलिये दार्शनिक ढ़ंग से विचार अनिवार्य प्रतीत होता है।*

- - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - -

विवाह किए बिना आपसी रजामंदी से युवक-युवती का ''एक छत के नीचे'' पति-पत्नी की तरह रहना ही सहजीवन है। भारतीय समाज के कुछ हिस्सों में ''नाता'' प्रथा के रूप में (राजस्थान) आज भी यह लगभग 70% से अधिक ओबीसी परिवारों में प्रचलित है। वैसे ही ''दापा'' प्रथा भी है जो की 1000 सालों से राजस्थान की गरासिया जनजाति में प्रचलित हैं, जिसमें रजामंदी से युवक-युवति साथ रहते हैं। यदि क्षेत्र विशेष से हम हिंदू धर्मग्रंथों की ओर बढ़ें तो यहां भी विवाह के 8 प्रकारों में से एक गन्धर्व विवाह है जो काफी हद तक सहजीवन जैसा ही है। हमें यह समझने की जरूरत है की सहजीवन बाहर से आयातित नहीं है।

अब तो ''घरेलू हिंसा'' अधिनियम 2005 द्वारा भी इसे संरक्षण प्राप्त है एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर इसकी वैधता के पक्ष में निर्णय दिये जाते हैं। दर्शन के छात्र होने के नाते मैं, स्वतंत्रता,समानता जैसे मूल्यों के आलोक में इसे ''उचित'' पाता हूँ। यदि झूठ, छल-कपट के बिना, सहमति से इसे अपनाया जाय तो विविधतापूर्ण इस देश में हमें विवाह के साथ-साथ सहजीवन से भला क्या परेशानी होगी?

आज के समय में सहजीवन (Live-In-Relation) की प्रवृति बढ़ती जा रही है, जाति एवं धर्म में जकड़ी, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आज युवावर्ग धड़ल्ले से सहजीवन को अपना रहे हैं, एक ओर आत्मनिर्णय एवं जीवन के अधिकार का प्रयोग करते हुए समाज के कुछ लोग इसे अपना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाज का एक बड़ा तबका ऐसे संबंधों के प्रति संशय एवं उपेक्षा की दृष्टि रखते हैं। ऐसे में हमने यहाँ समाजशास्त्रीय स्रोतों के साथ दर्शन की पुस्तकों की मदद से भारतीय संदर्भ में सहजीवन को समझने का प्रयास कुछ सवालों के आलोक में किया है जो इस प्रकार है-

(a) क्या सहजीवन हमारी संस्कृति का हिस्सा है?

(b) सहजीवन का कानूनी प्रावधान क्या हैं?

(c) क्या यह विवाह जैसी संस्था के लिए नुकसानदेह है?

(d) दार्शनिक दृष्टि से यह कितना युक्तिसंगत हैं?

सहजीवन क्या हैं?

विवाह किए बिना आपसी सहमति से युवक-युवती साथ में एक छत के नीचे पति-पत्नी की तरह जीवन गुजारे तो यह सहजीवन के नाम से जाना जाता है।

भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लिव इन रिलेशन जैसी परम्परा प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में रही है, इन्हीं, प्रथाओं में एक प्रथा है ''नाता प्रथा''। इस प्रथा में लड़का एवं लड़की पंचायत की मंजूरी मिलने के बाद शादी-शुदा युगल की तरह रहते हैं। नाता प्रथा विधवाओं व परित्यक्ता स्त्रियों को सामाजिक जीवन जीने की मान्यता देने के लिये बनाया गया था जिसे आज भी माना जाता है। अभी भी राजस्थान में ओ0बी0सी0 के 70.52% परिवारों में ''नाता प्रथा'' है, वहां की सपेरा जाति के 90% से अधिक परिवारों में नाता प्रथा है। वैसी ही ''दापा'' प्रथा हैं जो की राजस्थान की गरासिया जनजाति में हैं, जहां युवक-युवती सहमति से, युवती के घरवालों को कुछ राशि देकर साथ रहना शुरु करते हैं। यदि उनका विचार मेल न खाया, या अन्य किसी कारणवश तो ''दोनों'' अलग हो जाते हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है

की ‘एक ही महिला / लड़की” का कई बार नाता हो जाता है अर्थात् कई बार पुरूष साथी बदलती हैं तो ऐसे में बीमारी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

जब हम मनुस्मृति की ओर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि मनु ने जो विवाह के 8 प्रकार बताये हैं उसमें एक “गन्धर्व” विवाह भी है, जिसमें पुरुष एवं स्त्री स्वेच्छा से यौन-सम्बन्ध स्थापित करने के बाद विवाह करते हैं।

इस प्रकार यह माना जा सकता है कि “सहजीवन” जैसी परंपरा हमारे देश में कहीं न कहीं प्राचीन काल से रही है, साथ ही इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है की “पाश्चात्य जीवन शैली” ने इसको फलने-फूलने में मदद की है।

Live-In का कानूनी पहलूः-

- न्यायमूर्ती के0एस0 राधाकृष्णन वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 2013 में कहा की “सहजीवन” न तो अपराध है और न ही पाप।
- घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत प्रावधान किया गया है की “लीव-इन” में रहने वाली महिलाओं को भी अपने साथी से भरण-पोषण का विवाहित महिलाओं के तरह अधिकार है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है की यदि कोई स्त्री, विवाहित अधिकार है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है की यदि कोई स्त्री, विवाहित पुरूष के साथ सहजीवन में है तो उन्हें इस अधिनियम के तहत भरण-पोषण के योग्य नहीं माना गया है।
- उच्चतम न्यायालय की एक खण्डपीठ ने 21 अप्रैल 2014 को उदय गुप्ता बनाम आयशा एवं अन्य के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए स्पष्टीकरण किया है कि सहजीवन में रह रहे स्त्री एवं पुरूष के संसर्ग से यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो वह इन दोनों की वैध संतान मानी जायेगी एवं जिसे हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत एक धर्मज संतान के रूप में मान्यता मिलेगी।

दार्शनिक दृष्टि से यह कितना युक्तिसंगत है-

दर्शन का जिज्ञासु होने के नाते यह प्रश्न मन में उभरता है की दार्शनिक दृष्टि से यह कितना उचित है-सुख, स्वतंत्रता एवं समानता की दृष्टि से देखा जाय तो प्रत्येक मानव को ‘सुख का अधिकार है’। सुख अपने आप में मूल्यवान है एवं चार्वाक, एपिक्यूरम, मिल, बेन्थम आदि दार्शनिकों ने “सुखवाद” का समर्थन किया है, इस दृष्टि से सहजीवन सही प्रतीत होता है।

जॉन स्टूअर्ट मिल ने कहा है कि “प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जब तक कि वह दूसरों की ऐसी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करें।” स्वतंत्रता के आलोक में देखा जाय तो “सहजीवन” जो की दो व्यस्क का अपना निर्णय है, सही प्रतीत होता है।

समानता की दृष्टि से देखा जाए तो भी सहजीवन सही प्रतीत होता है। हम एक सभ्य समाज का निर्माण तभी कर पायेंगे जब यह सोचेंगे की “सब समान हैं चाहे वो सहजीवन को अपनाने वाले हैं, चाहें वे विवाह को अपनाने वाले।”

इस प्रकार स्वतंत्रता एवं समानता जैसे मूल्यों के आलोक में सहजीवन की प्रवृति उचित एवं वैध प्रतीत होती है किन्तु कुछ शर्तें हैं यदि “Live-In-Relation” में जाने का विचार स्वेच्छा से, झूठ, छल-कपट या जोर-जबरदस्ती का सहारा लिए बिना परस्पर सहमति से हों, और जिसमें ऐसे संबंध से उत्पन्न होन वाले संतान का भी ध्यान रखा गया हो, तब सहजीवन “दार्शनिक दृष्टि” से उचित है।

निष्कर्षतः

शादी करना या नहीं करना या यौन सम्बन्ध रखना बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। अतः ऐसे समय में जब “चंद्रयान-2” की तैयारी चल रही है, समाज के कुछ लोगों को “सुपर अभिभावक” की भूमिका निभाने से बचनी चाहिए तथा ऐसे सम्बन्धों के प्रति बिना किस उपेक्षा भाव के उदार दृष्टि रखनी चाहिए।

संदर्भ-सूचीः

1. रमेन्द्र,-शराब, सेक्स एवं नीतिशास्त्र, (पटना, बुद्धिवादी फाउण्डेशन, 2017)।
2. सपना मीणा-वर्तमान परिपेक्ष्य में नाता प्रथाः मीणा समाज के संदर्भ में (शोध मंथन, प्रन् 3 जून, 2017). Article N- 23 (SM 4 30)
3. प्रो0 अशोक कुमार वर्मा प्रारंभिक समाज एवं राजनीति दर्शन् (दिल्ली, मोतीलाल बनारसी दास, 2014)।
4. डॉ. मोहन गुप्ता, राजस्थान में आरक्षित जातियाँ, (जोधपुरः राजस्थानी ग्रंथागार, 204).

5. www. bhaskar.com. 2-Jun-2016.

6. www. amarujala.com 03-Nov-2013.

7. hindu.com 24 Sept., 2018.

Corresponding Author

Dumrendra Rajan*

Research Scholar, Philosophy, Patna University, Patna